न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

क्रमांक : वाद / डीसीकोर्ट / 2022 / 1129 दिनांक : 20.09.2022

आदेश

प्रार्थीगण सवाईसिंह पुत्र डूंगरसिंह, भवानीसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत निवासी आकोड़ा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन से उचित न्याय की प्रत्याशा न होने की आशंका पर विचाराधीन राजस्व आवेदन सं. 30 / 2021 अनवान सवाईसिंह व अन्य बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 में यथाविहित प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन सं. 30 / 2021 अनवान सवाईसिंह व अन्य बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य के प्रकरण में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रकरण के पक्षकारान मय अधिवक्तागण सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : वाद / डीसीकोर्ट / 2022 / 1130-33 दिनांक : 20.09.2022

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. उपखण्ड अधिकारी सेडवा / चौहटन
2. अधिवक्ता प्रार्थी / अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested